LOK SABHA

Thursday, March 30, 1967/Chaitra, 9, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mr. Speaker: The House will now take up Questions—

Shri Prakash Vir Shastri—

Shri Krishna Kumar Chatterji: Sir, I have tabled a Calling Attention Notice and motion for adjournment to discuss the happenings in Calcutta

Mr Speaker: This is Question Hour

Shri Krishna Kumar Chatterji: It is a very serious matter

Mr. Speaker: We are taking up questions now Later on we will come to that

श्री मधु लिमये : जरा कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह समझाये ।

Shri R. Umanath: At least we were doing it after the Question Hour (*Interruptions*)

Mr. Speaker: Order, order Shri Prakash Vir Shastri

योजना आयोग का पुनर्गठन

+

*139. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम कृष्ण :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को योजना आयोग के पुनर्गठन के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश ने योजनाबद्ध विकास की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं की है , और

(ग) योजना आयोग को प्रभावशाली बनाने के लिए और किन-किन उपायों का विचार किया जा रहा है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग ने, आयोजन की मशीनरी के सम्बन्ध में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है । दल ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है । प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार जो निर्णय लेगी उसके अनुसार योजना आयोग का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठाये जायेंगे ।

(ख) देश के विकास में तीन योजनाओं के दौरान जो प्रगति हुई तथा जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनके विषय में योजना आयोग का मूल्यांकन चौथी योजना के मसौदे की रूप रेखा में दिया गया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति तो अब हुई है, लेकिन योजना आयोग जो कि तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी कर चुका है पन्द्रह वर्षों से कार्य कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग ने इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामों को ध्यान में रखते हुए स्वयं कभी इस बात की आवश्यकता अनुभव नहीं की चूंकि योजना आयोग को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है वह इसके कारणों का अध्ययन करे । यदि अनुभव किया तो क्या उसने यह अध्ययन किया । यदि किया तो योजना आयोग स्वयं किस परिणाम पर पहुंचा ?

श्री अशोक मेहता : इसके बारे में जो कुछ सुझाव हैं योजना आयोग के अन्दर काम करने वालों के वे सारे सुझाव भी उसी स्टेडी ग्रुप के सामने पेश किया जा रहे हैं। माननीय सदस्य को शायद पता होगा कि रेटडी ग्रुप के अन्दर प्लैनिंग कमीशन के भी दो सीनियर आफिसर्स हैं और स्टेडी ग्रुप के जो सेक्रेटरी हैं वह प्रो० परांजपे हैं जो पिछले दो सालों से इन्डेपेन्डेन्ट तरीके से योजना आयोग के काम को स्टेडी कर रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा सवाल दूसरा है। मेरा प्रश्न यह था कि प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति से पहले क्या योजना आयोग ने अपनी असफलताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया कि योजना आयोग को अपेक्षित सफलता मिली है या नहीं। यदि किया तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री अशोक मेहता : यह दो अलग बातें हैं। प्लैनिंग के इम्प्लिमेंटेशन के बारे में बार-बार संसद् के सामने रिपोर्टस पेश हुई हैं। प्लैनिंग कमीशन का आर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जाय इसके बारे में, जैसा मैंने आप से कहा, जो कुछ हमारे सुझाव हैं वह प्लैनिंग कमीशन के सामने है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश की आवश्यकताओं और न्यूनताओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आकार प्रकार के ऊपर फिर से विचार करने का निश्चय किया है ?

श्री अशोक मेहता : प्रेजिडेंट के ऐड्रेस के अन्दर इसके बारे में बतलाया गया है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने राज्य सभा में बोलते हुए यह कहा था कि :

"The President has stated about the review of the structure and functioning of the Planning Commission in view of the new difficulties that we face and in view of certain changed circumstances. The Planning Commission has done good work in the past, but all work should constantly be reviewed to see that it meets the requirements of the day, and we are thinking of re-organisation at all levels. Up to now, there was a certain amount of duplication between the Commission and the Ministry. XXX An we also intend to discuss these matters with the Chief Ministers."

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आन ए प्वाएंट आफ आर्डर। जहां तक राष्ट्रपति के भाषण का प्रश्न है उसे सब सदस्यों ने सुना है। राज्य सभा में जो कुछ प्रधान मन्त्री ने कहा वह भी कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। इस समय तो मन्त्री महोदय से जो एक विशेष प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर चाहिये कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार प्रकार ज्यों का त्यों रक्खा जा रहा है या न्यूनताओं को देखते हुए उसमें कुछ कमी करने का विचार किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति के भाषण का उद्धरण देना और प्रधान मंत्री ने क्या कहा यह बतलाना इस प्रश्न को दूसरी दिशा में ले जाना है।

श्री अशोक मेहता : दोनों जगह यह कहा गया है...

श्री मधु लिमये : यहां आप राज्य सभा का उल्लेख ही नहीं कर सकते।

श्री अशोक मेहता : अब यह कहा गया है कि जो आउट लाइन तैयार हुई है उस आउट-लाइन के बनाने में 17 में से 16 राज्य के साथ स्टेट प्लैनिंग के बारे में समझौता हुआ था। लेकिन चूंकि कई जगहों पर अब नई सरकारें बनी हैं इसलिये इसके बारे में हमें उनसे भी बातचीत करनी है। इसके साथ-साथ रिसोर्सेज की जो पिक्चर है उसके बारे में भी हम अच्छी तरह विचार कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ और सेन्टर के साथ। यह सारा मैटीरियल

आ जाने के बाद किस तरह से आउटलाइन को रिव्यू करना है यह आपके सामने आ जायेगा।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : योजना आयोग का गठन करते समय क्या इस बात का विशेष रूप से ध्यान रक्खा जायेगा कि योजना को कार्यान्वित करते समय पिछले पन्द्रह वर्षों में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वह कठिनाइयां दूर हो सकें और ज्यादा अच्छी तरह से योजना कार्यान्वित हो सके और उसे राज्य सरकारों और केन्द्रीय मन्त्रालयों का पूरा सहयोग मिल सके।

श्री अशोक मेहता : कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जो कि हमारे बस की नहीं हैं जैसे ड्राउट्स हैं। इनके बारे में तो प्लैनिंग कमीशन कुछ नहीं कर सकता है लेकिन इम्पिलमेंटेशन के बारे में प्लैन की मैशिनरी कैसी हो इस सम्बन्ध में स्टेट्स के साथ चर्चा चल रही है।

Shri S. Kandappan: The status accorded to the Planning Commission in our country which has been rightly characterised as a super-Cabinet is very curious. It has neither constitutional nor legislative sanction. In view of the changed Centre-States relationship, may I know whether the Government is prepared to give statutory form to the Planning Commission?

Shri Asoka Mehta: As I pointed out earlier, this matter is under consideration. The only reason I referred to the speech of the Prime Minister is because she said she wants to consult the Chief Ministers also about it.

Shri S. Kandappan: Sir, on a point of clarification. The Minister has stated that the matter is under consideration. Is it by the Administrative Reforms Commission or by the Government?

Shri Asoka Mehta: I have made it clear that the Government is awaiting the report of the Study Group set up by the Administrative Reforms Commission. When the report comes, with whatever materials the Government may have at their disposal, they will apply their mind and come to a conclusion. In doing so, they will also be consulting the Chief Ministers.

Shri Chengalraya Naidu: Will the hon. Minister be pleased to consider the question of making the members of the Planning Commission responsible for execution also, because there is a lot of difference between drawing up of plans and their execution?

Shri Asoka Mehta: That is not possible.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी मन्त्री जी ने कहा कि योजना आयोग का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाये इस पर एक अध्ययन दल विचार कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में अपना दिमाग बताया है या नहीं—अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार के पास जब आयेगी तब आयेगी जैसा कि सुझाव दिया गया है कि योजना आयोग विशेषज्ञों की एक छोटी सी समिति के रूप में काम करेगा, आज के वर्तमान भारी भरकम रूप में नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अध्ययन दल के भरोसे बैठी हुई है या कि उसने खुद भी अपने दिमाग में कुछ तय किया है।

श्री अशोक मेहता : मैंने हाउस में पहले भी कहा कि एक कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार हो रहा है जिस स्टेडी ग्रुप के सामने सभी लोगों ने अपनी अपनी रायें दी हैं। इसके साथ-साथ सरकार के अन्दर भी इस के बारे में विचार हो रहा है। इन सारी बातों को साथ रख कर फैसला किया जायेगा।

श्री क० ना० तिवारी : मन्त्री महोदय ने कहा कि स्टेडी ग्रुप स्टेडी कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक जो फाइव ईयर प्लैन्स बनीं उनमें इंडस्ट्रियल या ऐग्रीकल्चरल शार्टफाल जो हुआ है क्या उसकी भी कोई स्टेडी की गई है? यदि स्टेडी की गई है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई?

श्री अशोक मेहता : इसकी स्टडी बार-बार हुई और हाउस के सामने सारी चीजें पेश की गई । आखिरी रिपोर्ट आपके सामने प्लैन आउटलाइन की रही । उसमें पिछली तीन प्लैन्स में क्या कमजोरियां थीं और किस वजह से थीं तथा उन्हें दूर करने के लिये क्या करना है यह सारी बातें बतलाई गई हैं ।

Shri Umanath: Some time back it was reported in the press that the World Bank or the Aid India Consortium had advised the Government of India that the Planning Commission be reduced to an advisory body. I would like to know whether it is true; if not, whether at any stage during their discussions these foreign agencies had suggested anything about the re-organisation of the Planning Commission.

Shri Asoka Mehta: There is no basis for both the suggestions that have been made by the hon. Member.

Shri Virendrakumar Shah: Has the Government realised that the Planning Commission has not only failed to help the economy of the country but has brought disaster, hence it deserves to be scrapped totally?

Shri Asoka Mehta: The Government does not accept the conclusions that the hon. Member seems to have drawn.

Shri M. R. Krishna: The Planning Commission has failed in tackling the problem of fertiliser and food and it has grossly failed in meeting the demands of the weaker sections. May I know what changes the Government proposes to bring about in order to make the department dealing with the weaker sections more effective?

Shri Asoka Mehta: As far as the suggestion made that the Planning Commission has failed to solve the food and fertiliser problem is concerned, I beg to disagree. The various steps taken to increase food and fertiliser production and the various difficulties encountered are all before the House. If these matters are to be discussed separately, I am willing to discuss them. Then, the hon. Member has raised the question about assisting the weaker sections of the people. I agree that we have not been able to do all that we would like to do. The real difficulty arises from the fact that our resources are very limited and we have to deploy them for production purposes much more than we are able to use them for welfare purposes.

बख्शी गुलाम मुहम्मद : पिछले पन्द्रह साल के तजुर्बे के बाद और स्टेडी ग्रुप्स कमेटीज वगैरह की रिपोर्ट्स को देख लेने के बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर के जहन में क्या है कि प्लानिंग कमीशन को वह आइन्दा किस तरह रिआर्गेनाइज करें ताकि ये जो शिकायात मुख्तलिफ तरफ से आई हैं उनको दूर किया जा सके ? मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जाती राय क्या है ?

श्री अशोक मेहता : जहन में मेरे क्या है उस की कोई कीमत नहीं है क्योंकि सरकार के जहन में क्या है वही हाउस के सामने आता है । मेरे जहन में जो कुछ भी हो वह सरकार के सामने आता है ।

बख्शी गुलाम मुहम्मद : सरकार तो सरकार है और वह जानती भी है थोड़ा बहुत । लेकिन जिम्मेदारी प्लानिंग की कनसर्ड मिनिस्टर की ही तो है और कनसर्ड मिनिस्टर सरकार को क्या मशविरा देते हैं यह देखने वाली बात है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह क्या मशविरा सरकार को दे रहे है ?

Shri Asoka Mehta: Sir, the House never asks what advice a particular Minister gives to Government. I am called upon to give information when the Government takes a decision. I have made it clear that the Government is waiting for the report of the Administrative Reforms Commission on the subject and is on its *own, suo motu*, collecting a lot of information

including whatever we may have to say in the Planning Commission. Government will review all this and when a decision is taken, I will give all the information.... (*Interruption*).

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: May I request hon. Members to take their seats? It is a very important question, no doubt.

An hon. Member: Just one question.

Mr. Speaker: Everybody wants to put only one question, all those who are standing; they cannot put two or three. But we have already taken 15 minutes. I do not mind giving another half an hour to this, but then will not other questions suffer? I know, the Planning Commission question is very important. We can have a one-hour discussion on this; I do not mind that. But if we lose one hour over one question, what will happen to other questions?

Some hon. Members: It is an important question.

Mr. Speaker: I know, it is very important, but there are other important questions. Therefore, I will pass on to the next question.... (*Interruption*). You want to continue with this question? Then, I will allow everyone of you.

An hon. Member: We can have a half-an-hour discussion on this.

Mr. Speaker: I will deal with only one question today.

Shri S. S. Kothari: In view of the fact..... (*Interruption*).

An hon. Member: Will you kindly allow a-half-an-hour discussion on this?

Mr. Speaker: No, please. I will allow questions now. (*Interruption*).

Shri A. B. Vajpayee: The other Questions are also important. We should not devote so much time on this.

Mr. Speaker: But others don't think like that. Next Question.

American Peace Corps Volunteers

\+

*140. **Shri Vasudevan Nair:**
Dr. Ranen Sen:
Shri A. K. Gopalan:
Shri Umanath:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some State Governments have demanded the withdrawal of the American Peace Corps Volunteers from their States and

(b) if so, the action taken by the Central Government in this regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No. Sir. There has been no demand from any State Government for the withdrawal of American Peace Corps Volunteers. These Volunteers are sent to the States in response to requests received from them.

(b) Does not arise.

Shri Vasudevan Nair: Is it not a fact that there have been many complaints about subversive activities of some of these persons belonging to the Peace Corps from the various States, including Maharashtra and Kerala, and may I know whether the Planning Commission who were previously in charge of these international volunteer organisations could not tackle these complaints and that they were rather acquiescing in them, covering them up, and were hand in glove with the Peace Corps, and, if so, is that the reason why this subject was transferred from the Planning Commission to the Ministry of Finance last year.

Shri Morarji Desai: The inferences drawn by the hon. Member are not correct. The transfer from one to another is only a matter of convenience and utility. That is how it is done. There are not many complaints of subversive activities against these volunteers. As far as I could find out, there was complaint against only one particular volunteer in Pilani—it was not anywhere else—and he is no longer